राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

महत्वपूर्ण

8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/NIPI/2017/12 भोपाल, दिनांक /12/2017 01/01/2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषयः— 09 फरवरी 2018 को 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमिनाशन हेतु प्रदेश के 51 जिलों में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन के संबंध में संयुक्त दिशा—निर्देश।

****

विषयांतर्गत लेख है कि बच्चों में कृमि संक्रमण, व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा संक्रमित दूषित मिट्टी के संपर्क से संभावित होता हैं। कृमि संक्रमण से बच्चों की जहॉ एक ओर शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होता है वही दूसरी ओर उनके पोषण स्तर दुष्प्रभाव पड़ता हैं। अतः 1 से 19 वर्षीय बच्चों का कृमिनाशन करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक साक्ष्य आधारित सकारात्मक रणनीति है। **भारत सरकार के निर्देशानुरूप प्रदेश में दिनांक 9 फरवरी 2018 "राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस" एवं दिनांक 15 फरवरी को (मॉप—अप दिवस) का आयोजन कर एक 1 से 19 वर्षीय समस्त बच्चों का कृमिनाशन किया जाना है।** राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस पर हितग्राही समूह के समस्त बच्चों को एल्बेंण्डाजोल चबाने वाली मीठी गोली की प्रदायगी की जावेगी, ताकि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है, एवं कार्यक्रम का निष्पादन स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग व एकीकृत बाल विकास सेवायें द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा, जिसमें डोनर पार्टर संस्था—एविडेन्स एक्शन, यूनिसेफ तथा न्यूट्रिशन इन्टरनेशनल सहयोगी एजेन्सी रहेंगे।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस —2018 के आयोजन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :—

- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (National Deworming Day–NDD-2018) एवं मॉप—अप दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त **शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, प्राइवेट/प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्रशासित शालाओं, मदरसों, स्थानीय निकायों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों** में दिनांक 09 फरवरी 2018 एवं 15 फरवरी 2018 को किया जाये।
- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाये, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवायें, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, डोनर पार्टनर प्रतिनिधि प्रायवेट स्कूल के प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य, मदरसों के जिला प्रतिनिधि, प्रमुख जनप्रतिनिधि,स्वच्छ भारत अभियान के प्रतिनिधि तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारियों का प्रतिनिधित्व हो।
- उपरोक्त समिति द्वारा राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों यथा प्रचार—प्रसार व रिपोर्टिंग सामग्री का वितरण, औषधियों की आवश्यकता, प्रतिकूल घटनाओं का प्रबन्धन व व्यवस्थापन आदि पर विचार किया जाये एवं सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार की जाये।
- **राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का समारोह पूर्वक शुभारम्भ जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2018 को सुनिश्चित की जाये।**
- **दिनांक 9 फरवरी 2018 को 1 से 2 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की आधी गोली चूरा करके, 2 से 3 वर्षीय बच्चों को एक गोली चूरा करके तथा 3—19 वर्षीय सभी बच्चों को एक गोली शालाओं / आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षको तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता की निगरानी में खिलाई जाये। छूटे हुऐ बच्चों को दिनांक 15 फरवरी 2018 को आयोजित मॉप—अप दिवस पर कृमिनाशन का लाभ दिया जाये।**
- **राज्य स्तर पर वर्ष 2018 हेतु लक्षित 1—19 वर्षीय हितग्राहियों की संख्या**(Denominator)**, शिक्षा विभाग के** U-DISE **एवं महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। (अनुलग्नक—अ) अतः कवरेज रिपोर्ट में निर्धारित** Denominator **के आधार पर ही आच्छादन का आंकलन किया जाये। किसी भी परिस्थिति में जिलों द्वारा** Denominator **में बदलाव करने की छूट नहीं है।**
- शिक्षा विभाग द्वारा प्राईवेट स्कूल के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की जायें।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के संबंध में जागरूक करने हेतु मीडिया/प्रेस मीटिंग का आयोजन दिनांक 8 फरवरी को किया जाये।
- **कृमि संक्रमण की अधिकता वाले बच्चों में अल्प प्रतिकूल लक्षण जैसे उल्टी, मथली, घबराहट, चक्कर आना, थकान जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते है, जो कि स्वाभाविक है। यह लक्षण क्षणिक एवं स्व—सीमित होते है।**

जिसकी जानकारी समस्त शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, पालकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन के पूर्व ही दी जाये।

- **स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिकूल घटनाओं के प्रबंधन हेतु मूलभूत औषधियों की उपलब्धता प्रत्येक केन्द्र पर सुनिश्चित की जाये एवं गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के मानक प्रबंधन हेतु संपर्क न. की उपलब्धता तथा निःशुल्क आपात परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।**
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारी राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस और मॉप–अप दिवस के दौरान मॉनीटरिंग निर्धारित प्रपत्र (**संलग्न– अनुलग्नक 'ब'**) अनुसार करे एवं भरें हुये प्रपत्रों को जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को 03 दिवस के अंदर जमा करें तथा जिला स्तर से मॉनीटरिंग प्रपत्रों को nhmmpndd@gmail.com पर ई–मेल करें।
- **मॉप–अप दिवस 15 फरवरी 2018 के पश्चात स्कूल तथा आंगनवाडी में बची हुई दवा को निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र के साथ ए.एन.एम./आशा को जमा करवाये। तदानुरूप आशा/ए.एन.एम. द्वारा बची हुई दवा को विकासखण्ड स्तर पर पहुँचाया जाये।**
- **विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस –2018 में विभिन्न विभागों की निम्नानुसार भूमिका होगी :–**

स्वास्थ्य विभाग	शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग	महिला बाल विकास विभाग
1. जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन एवं बैठक का आयोजन। 2. आवश्यक मात्रा में एल्बेण्डाजोल गोली शासकीय शालाओं/आदिवासी आश्रम शालाओं, प्राइवेट/प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्रशासित शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुँचाना। 3. प्रचार–प्रसार सामग्री एवं रिर्पोटिंग प्रपत्रों का वितरण। 4. समन्वित विभागों के कर्मचारियों का समय–सीमा में अर्द्ध दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण के दौरान फिलप चार्ट का उपयोग किया जाना। 5. प्रशिक्षण में संस्थावार एन.डी.डी. कीट का वितरण। एन.डी.डी. कीट में निम्न 7 सामग्री होगी :– (i)एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की चबाने वाली गोली (ii)प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु मूलभूत औषधियां (iii)संपर्क नम्बर सूची, 108 (iv)फ्लेक्स/ बैनर (समस्त निजी विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, मदरसा तथा स्थानीय निकाय एवं 16 उच्च प्राथमिकता वाले जिले के समस्त आंगनवाड़ी ,शासकीय प्राथमिक विद्यालय के लिये) (v)शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र युक्त हेन्डआउट (vi)आशा हेतु पेम्पलेट एवं कम्यूनिटि हैण्ड बिल (vii)शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु दो पोस्टर 6. एन.डी.डी के दौरान किसी भी प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना। 7. एन.डी.डी के दौरान प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के सम्पर्क नम्बर का संबंधित विभागों से सांझा करना। 8. निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एन.डी.डी. एप में इन्द्राज करना। 9. कार्यक्रम की निगरानी, रिर्पोट संकलन एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	1. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना। 2. कक्षाओं में इंद्राज बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 3. अधीनस्थ शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना। 4. प्रायवेट, केन्द्रीय शालाओं, मदरसों की भागीदारी उक्त कार्यक्रम में सुनिश्चित करना। 5. एन.डी.डी. 2018 हेतु प्रदायित प्रसार सामग्री का यथोचित प्रदर्शन। 6. कक्षा 1 से 12वी के शिक्षकों के माध्यम से पंजीकृत समस्त बच्चों को एल्बेण्डाजोल गोली की निगरानीबद्ध प्रदायगी। 7. एन.डी.डी. दिवस तथा मॉप–अप दिवस के दिन अधिकाधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। 8. गोली के सेवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 9. छोटे बच्चों को मीठी गोली के प्रदायगी के समय गोली को चम्मच से चूरा करने पर विशेष ध्यान। 10. राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के संबंध में पालकों को पूर्व सूचना देना। 11. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का शाला में प्रमुखता से प्रदर्शन। 12. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 13. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से निर्धारित समयावधी में सांझा करना। 14. कार्यक्रम की निगरानी, रिर्पोट संकलन – कागजी एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	1. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना। 2. आंगनवाडी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की संख्या एवं शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 3. अधीनस्थ आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना। 4. एन.डी.डी. 2018 प्रदायित प्रसार सामग्री का प्रदर्शन। 5. 1 से 2 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल की आधी गोली तथा 2 से 3 वर्षीय बच्चों को पूरी गोली चम्मच से चूरा करके एवं 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पूरी गोली समक्ष में खिलाना। 6. 5 से 19 वर्षीय समस्त शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्र में एकत्रिकरण करना एवं एल्बेण्डाजोल गोली का सेवन सुनिश्चित करना। 7. गोली के सेवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 8. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 9. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का आंगनवाडी में प्रमुखता से प्रदर्शन। 10. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से निर्धारित समयावधी में सांझा करना। 11. कार्यक्रम की निगरानी, रिर्पोट संकलन – कागजी एवं सुधारात्मक विश्लेषण।

नोट :– एक ही प्रागंण में संचालित भिन्न डाईस कोड युक्त शालाओं को प्रथक संस्था मानते हुये तदानुसार पोस्टर, बैनर, रिपोर्टिंग प्रपत्र का वितरण नियोजित किया जाये।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस –2018 के सफल आयोजन हेतु समस्त समन्वित विभाग स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

एस. विस्वनाथन मिशन संचालक एन.एच.एम. म.प्र.	लोकेश जाटव, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.	संदीप यादव आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवायें म.प्र.	नीरज दुबे, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.	दीपाली रस्तोगी, आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.

O/c

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम/NIPI/2017/ 13 भोपाल, दिनांक /12 /2017 01/01/2018

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन–डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि अपने क्षेत्रीय तथा जिला समन्वयकों के माध्यम से शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करें।
11. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भोपाल।
12. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, न्यूट्रिशन इन्टरनेशनल, मध्यप्रदेश।
13. समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
15. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक एन.एच.एम. म.प्र.	संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.	आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवायें म.प्र.	आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.	आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.

O/c

अनुलग्नक

District Wise Denominator

SN	Name of Division	Name of District	1-5 years Children	5 to 10 Years Children	10 to 19 years Adolescent	Total
1	Bhopal	Betul	126777	155213	281348	563338
2		Bhopal	182027	294169	387652	863848
3		Harda	51179	60007	95813	206999
4		Hoshangabad	100671	128031	234406	463108
5		Raisen	129694	154697	217885	502276
6		Rajgarh	164923	181322	291004	637249
7		Sehore	136391	149377	274871	560639
8		Shajapur	93031	99274	156322	348627
9		Vidisha	147115	171929	240925	559969
10	Gwalior	Ashok Nagar	88771	113686	144119	346576
11		Bhind	173080	204753	312017	689850
12		Datia	70809	81537	127662	280008
13		Guna	180202	167424	223081	570707
14		Gwalior	169805	245316	343685	758806
15		Morena	221553	235705	343914	801172
16		Shivpuri	202002	237672	295971	735645
17		Shoepur	82832	90292	119493	292617
18	Indore	Alirajpur	128757	116501	122898	368156
19		Barwani	170450	160766	184722	515938
20		Burhanpur	83913	87408	116235	287556
21		Dhar	238367	277453	356566	872386
22		Indore	194745	409151	531092	1134988
23		Jhabua	179303	179306	201353	559962
24		Khandwa	137741	162675	222085	522501
25		Khargon	191632	213459	307237	712328
26	Jabalpur	Balaghat	133672	162062	313195	608929
27		Chindwara	169589	206084	363130	738803
28		Dindori	70715	89178	135131	295024
29		Jabalpur	199910	223808	383256	806974
30		Katni	132680	142609	259477	534766
31		Mandla	90412	117787	194193	402392
32		Narsinghpur	88408	104249	184433	377090
33		Seoni	114443	139627	253537	507607
34	Rewa	Anooppur	65496	76445	134424	276365
35		Rewa	258603	265818	451502	975923
36		Satna	223273	247467	433046	903786
37		Shahdol	107537	118302	194278	420117
38		Sidhi	137829	145704	231712	515245
39		Singhroli	137059	168408	211554	517021
40		Umaria	65001	77015	123387	265403
41	Sagar	Chhatarpur	207205	225801	377976	810982
42		Damoh	128031	146840	243078	517949
43		Panna	103541	132472	194359	430372
44		Sagar	248841	263212	481069	993122
45		Tikamgarh	156937	199511	268106	624554
46	Ujjain	Agar	62040	67564	91336	220940
47		Dewas	156137	167800	263213	587150
48		Mandsaur	114508	133510	219803	467821
49		Neemuch	69971	81808	130609	282388
50		Ratlam	149338	172021	235003	556362
51		Ujjain	184749	206846	309736	701331
Grand Total			**7221695**	**8459071**	**12812899**	**28493665**

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस निरिक्षण प्रपत्र

निरिक्षण की तिथि

(जो लागू होता है उस बॉक्स पर सही का निशान लगाएं

☐ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (...../......../2018)

☐ मॉप–अप दिवस (...../......../2018)

सामान्य जानकारी							
मॉनिटर का नाम और मोबाइल नंबर	निरिक्षण स्थल	स्कूल / आंगनवाडी केंद्र का नाम	स्कूल डायस(DISE) / आंगनवाडी केंद्र कोड	राज्य	जिला	ब्लॉक	वार्ड /ग्राम
	1. सरकारी स्कूल 2. प्राइवेट स्कूल 3. आंगनवाडी केंद्र						
यदि निरिक्षण का स्थान सरकारी/निजी स्कूल है तो कृपया नीचे लिखी सूचनाएं भरें							
विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या			विद्यालय में कुल उपस्थित बच्चों की संख्या				

1. क्या स्कूल /आंगनवाडी केंद्र के पास कृमि नियंत्रण की दवाई है ? , 1 हाँ 2 नहीं
2. क्या कृमि नियंत्रण की उपलब्ध दवाई सभी नामांकित और स्कूल न जाने वाले/ अपंजीकृत बच्चों के लिए पर्याप्त है 1. हाँ 2.नहीं
3. दवाई की एक्सपायरी तारीख क्या है?
4. क्या स्कूल /आंगनवाडी केंद्र के पास कृमि नियंत्रण के निम्नलिखित प्रावधान हैं? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
   1.स्कूल/आंगनवाडी हैण्ड आउट/रिपोर्टिंग प्रपत्र 2. पीने का पानी 3. ओ.आर.अस. पैकेट 4. इनमे से कोई नहीं
5. क्या बच्चो को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जा रही हैं? 1. हाँ 2.नहीं
6. अगर नहीं, तो स्कूल/आंगनवाडी केंद्र में कृमि नियंत्रण कार्यक्रम क्यों नही चल रहा है?
7. अगर हाँ, तो बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाईं कौन खिला रहे हैं? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
   1. आंगनवाडी कार्यकर्ता 2.शिक्षक/मुख्याध्यापक 3. आशा 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)..................
8. क्या आशा आंगनवाडी केंद्र में उपस्तिथ है? 1. हाँ 2. नहीं
9. क्या आशा आंगनवाडी कार्यकर्ता को कृमि नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग दे रही है? 1. हाँ 2. नहीं
10. क्या शिक्षक/ आंगनवाडी कार्यकर्ता कृमि नियंत्रण दवाई देने पहले बीमार बच्चों को स्वस्थ्य बच्चो से अलग कर रहे हैं? 1. हाँ 2. नहीं
11. क्या शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता ने बच्चों को दवाई देने के बाद उपस्थिति रजिस्टर में हर बच्चे के नाम के आगे (✓/✓✓)लगाया है?
    1.हाँ 2. नहीं
12. क्या आशा /आंगनवाडी कार्यकर्ता ने स्कूल न जाने वाले/ अपंजीकृत बच्चे जिन्हें दवाई दी गई उनकी सूचि तैयार की थी?
    1. हाँ 2. नहीं 3. अपंजीकृत बच्चों को दवाई नही दी गई
13. क्या स्कूल न जाने वाले/ अपंजीकृत बच्चो को स्कूल/आंगनवाडी केंद्र में दवाई दी जा रही है ? 1. हाँ 2. नहीं
14. क्या शिक्षक बच्चो को कृमि नियंत्रण सम्बन्धी कोई स्वास्थय शिक्षा दे रहे है ? 1. हाँ 2. नहीं
15. क्या शिक्षक/ आंगनवाडी कार्यकर्ता बच्चो को एल्बेंडाजॉल की उपयुक्त मात्रा (1–2 वर्ष के बच्चो को आधी गोली/2–19 वर्ष के बच्चो को पूरी गोली)दे रहे है? 1. हाँ 2. नहीं
16. क्या शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता बच्चो को अपने सामने दवाई खाने को कह रहे है? 1. हाँ 2. नहीं
17. क्या बच्चो को एल्बेंडाजॉल दवाई को चबा के खाने का निर्देष दिया जा रहा है,? 1. हाँ 2. नहीं

प्रशिक्षण पक्ष

18. क्या आपने या आपके स्कूल/ आंगनवाडी केंद्र के किसी शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता ने पिछले 2 महीनों में कृमि नियंत्रण के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण लिया है? 1.हाँ 2. नहीं

19. अगर हाँ, तो क्या जिन्होंने प्रशिक्षण लिया हैं उन्होंने अन्य को परिक्षण दिया है? 1. हाँ 2. नहीं

20. शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता ने प्रशिक्षण कहाँ लिया था ? 1. स्कूल में 2.ब्लॉक प्रशिक्षण 3. जिला प्रशिक्षण 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)............

21. प्रशिक्षण के समय क्या सामग्री मिली थी?

1. दवाई 2. पोस्टरं / बैनर 2. हैण्ड आउट/रिपोर्टिंग प्रपत्र 3 . प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रपत्र 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)..........

22. क्या आपको मोबाइल पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का कोई सन्देश मिला था ? 1. हाँ 2. नहीं

23. शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता के अनुसार, क्या बीमार बच्चो को कृमि नियंत्रण की दावा खिलाई जा सकती है? 1. हाँ 2. नहीं

24. क्या शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता को कृमि नियंत्रण सम्बंधित प्रतिकूल घटना की जानकारी थी? 1. हाँ 2. नहीं

25. अगर हाँ, तो प्रतिकूल घटना के समय उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।

1. बच्चे को छाया में लिटायें 2. पीने के लिए साफ़ पानी दे 3. ए.एन.म नजदीकी पी.एच.सी. को संपर्क करें 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)..... ....

26. कृमि नियंत्रण की दवाई लेने के बाद बच्चो के द्वारा क्या प्रतिकूल घटनाये रिपोर्ट की जा सकती हैं? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।

1. पेट में हल्का दर्द 2. मतली/उलटी 3. दस्त 4.थकान 5. अन्य (निर्दिष्ट करें)...........

27. क्या आपने स्कूल/आंगनवाडी में कोई गंभीर प्रतिकूल घटना देखी? 1. हाँ 2. नहीं

28. क्या स्कूल/आंगनवाडी के पास ए.एन.म या नजदीकी पी.एच.सी. का नंबर है ? 1. हाँ 2. नहीं

29. स्कूल/आंगनवाडी केंद्र पर क्या आई.इ.सी. सामग्री दिखाई दे रहे थे? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।

1. पोस्टर 2. बैनर 3. कोई आई.इ.सी. सामग्री नहीं है 4.अन्य आई.इ.सी. सामग्री (निर्दिष्ट करें)........

30. स्कूल/आंगनवाडी केंद्र में निम्नलिखित में से कौन से सन्दर्भ दस्तावेज़ मौजूद है? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।

1. शिक्षक/आंगनवाडी हैण्ड आउट/ रिपोर्टिंग प्रपत्र 2. प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रपत्र 3. कोई दस्तावेज़ नहीं 4.अन्य (निर्दिष्ट करें)........

31. आशा द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले समुदाय संगठन के लिए क्या क्या कदम लिए गए? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।

1. ग्राम स्तर पर बच्चो के माता पिता के साथ बैठक 2. बच्चो के माता पिता को कृमि से होने वाले हानिकारक प्रभाव पे बताया
3. बच्चो के माता पिता को कृमि नियंत्रण लाभ के बारे में बतया 4. माता पिता को कृमि के पुनर्संक्रमण से बचाव के लिए व्यवहार परिवर्तन के बारे में बताया 5. अन्य निर्दिष्ट करें)........

32 आपको कृमि नियंत्रण कार्यक्रम 2018 के बारे में जानकारी कहाँ से मिली?

1. विभागीय संचार 2. टेलीविज़न 3. रेडियो समाचार पत्र 4.बैनर 5. स.एम.स(SMS) 6 . प्रशिक्षण 7. अन्य (निर्दिष्ट करें)......

33. बच्चों को कृमि संक्रमण किन तरीकों से हो सकता है? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।

1. बिना हाथ धोये भोजन करना 2. शौच के बाद हाथ न धोना
3. शौचालय का प्रयोग ना करना 4. नंगे पाव घूमना 5. सब्जियां और फल बिना धोये हुए खाना 6. अन्य (निर्दिष्ट करें)........

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस 2018 पूर्व तैयारियों हेतु गतिविधि कैलेण्डर			
क्रं.	स्तर	विवरण	निर्धारित समय–सीमा
1	जिला	**National Deworming Day Kit** की व्यवस्था –(शाला, आदिवासी आश्रम शाला, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा बच्चों की संख्या के आधार पर):– 1. एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की चबाने वाली गोली 2. प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु मूलभूत औषधियां 3. संपर्क नम्बर सूची 4. फ्लेक्स बैनर 5. शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र युक्त हेन्डआउट 6. आशा हेतु पेम्पलेट रिर्पोटिंग प्रपत्र युक्त 7. शाला तथा आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु दो पोस्टर प्रति संस्था	05 जनवरी 2018
		समस्त BMO / Sector MO / BPM / BCM / BEO / BRC / CDPO / प्राइवेट स्कूल एशोसिएशन के प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य का एन.डी.डी के संबंध में उन्मुखीकरण तथा उसी समय बी.एम.ओ को एन.डी.डी. किट का वितरण	05 से 15 जनवरी 2018
		विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस की जिले में पूर्व तैयारियों की विकासखण्डवार समीक्षा	15 से 22 जनवरी 2018
3	विकासखण्ड	BMO / BPM / BCM द्वारा शाला प्रधान/प्रधानाचार्य/शिक्षकों / प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों/केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों का उन्मुखीकरण	16 से 31 जनवरी 2018
		आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/ए.एन.एम. का उन्मुखीकरण	16 से 31 जनवरी 2018
		मिडिया गतिविधी–ग्रामों में माईकिंग, बच्चों की प्रभात फेरी, मशाल रैली तथा गेरू से दीवार लेखन	02 से 08 फरवरी 2018
4	मैदानी	एन.डी. डी का शुभारंभ–जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा	09 फरवरी 2018
		मॉप–अप डे का आयोजन	15 फरवरी 2018
		समस्त शालाओं एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा ए.एन.एम./आशा को रिपोर्ट जमा करने की अन्तिम तिथि	20 फरवरी 2018
		ए.एन.एम/ आशा द्वारा विकासखण्ड स्तर को रिपोर्टिंग	27 फरवरी 2018
		विकासखण्ड स्तर से जिले को कागजी एवं एन.डी.डी. एप में रिपोर्टिंग	14 मार्च 2018
		जिला स्तर से राज्य स्तर को कागजी एवं एन.डी.डी. एप में रिपोर्टिंग का अनुमोदन	21 मार्च 2018